ई– नीलामी प्रपत्र में तृतीय संशोधन
** यह संशोधन अनुबंध का भाग होगा ।*

क्रमांक :– रेत/2015/90 **भोपाल, दिनांक – 05.05.2015**

8.5 ई–नीलामी में भाग लेने के पूर्व की प्रक्रिया :–

अमानत राशि का भुगतान नीलाम दिवस के ~~दो दिन~~ पूर्व निर्धारित निथि तक किया जा सकेगा।

कंडिका 1.7 (viii)

बोलीकर्ता द्वारा www.mpeproc.gov.in में रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात वह ई–नीलामी में भाग ले सकेगा, परंतु प्रत्येक ग्रुप हेतु उसे अलग–अलग आरक्षित मूल्य (Upset price) की निर्धारित अमानत राशि (EMD) चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। **यदि बोलीकर्ता चाहे तो एक ही चालान के माध्यम से समान फेस के कई समूहों की अमानत राशि जमा कर सकता है। इसके लिये उसे ऐसे प्रत्येक समूह को Select कर tick करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिये हेल्पडिस्क से संपर्क कर सकते है।** सफलतम बोलीकर्ता की बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने पर निर्धारित अवधि में एच–1 ऑफर की स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत की सुरक्षा राशि प्रत्येक ग्रुप हेतु जमा करना होगा एवं इसमें पूर्व में जमा 10 प्रतिशत जमा अमानत राशि सम्मिलित रहेगी। एक से अधिक ग्रुप में भाग लेने पर प्रत्येक ग्रुप हेतु, निर्धारित 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि की व्यवस्था को पूर्व से ही सफलतम बोलीकर्ता को सुनिश्चित करना होगा। यदि एक से अधिक समूहों की बोली (bid) उसके पक्ष में स्वीकृत किये जाते हैं एवं वह सभी समूहों की निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कर पाता तो उसकी संबंधित ग्रुप की अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी ।

कंडिका 2.6

रेत उठाव की निर्धारित मात्रा :–

अधिकतम सतह से 3 मीटर तक अथवा जल स्तर तक अथवा वास्तविक उपलब्ध मात्रा, जो भी कम हो रेत खनिज का उठाव निर्धारित किया गया है। रेत का उठाव एवं बिक्री म0प्र0 गौण खनिज नियम, 1996 के प्रतिबंधित क्षेत्र तथा अन्य ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र जो शासन व्दारा निर्धारित किये गये हो, से नहीं किया जावेगा। रेत उठाव एवं बिक्री का कार्य नदी/नाले के जल के भीतर या बहाव की धारा (River ~~Bed~~ Stream) में नहीं किया जावेगा।

अनुबंध प्रारूप की कंडिका 4

निर्धारित मात्रा से कम मात्रा उठाने पर ई–नीलामी प्रपत्र में ~~प्रथम संशोधन की~~ कंडिका 1.5 के प्रावधान लागू होगे।